भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
(प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग)
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरु मार्ग,
(ओल्ड मिंटो रोड), डॉ. जाकिरहुसैन कॉलेज के समीप,
नई दिल्ली-110002

सत्यमेव जयते

TRAI

संख्या 10–1/2020–प्र. एवं का. दिनांकः 04 दिसंबर, 2020

विषयः भादूविप्रा (मुख्यालय), नई दिल्ली में परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए विज्ञापन।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत संसद के द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। भादूविप्रा की स्थापना दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र के उचित एवं व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने तथा सुनिश्चित करने और इनसे संबंधित प्रासंगिक मामलों के लिए की गई है। वर्ष 2004 से, भादूविप्रा को प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विनियमन से जुड़े कार्य का अधिकार भी सौंपा गया है।

2. अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकरण अनुलग्नक–2 में दिए गए नियम एवं शर्तों के आधार पर नीचे दी गई पात्रता की शर्तों के अनुसार अपने मुख्यालय, नई दिल्ली में परामर्शदाता को नियुक्त करने का प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

पद का नाम	पदों की संख्या	पात्रता की शर्तें	अधिकतम आयु *(आवेदन की अंतिम तिथि पर)*	समेकित पारिश्रमिक
परामर्शदाता (वित्त)	1	1. केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त अधिकारी के पास वित्त/अर्थशास्त्र/बजट/लेखा में काम करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी या इससे ऊपर के पद (अर्थात् सातवें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स में पे लेवल 11 या अधिक या समतुल्य वेतनमान में केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय में अवर सचिव/एजीएम/एडीजी या इससे ऊपर का पद) पर काम कर चुके हों। 2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। वांछनीयः 1) विनियामक निकाय में काम करने का अनुभव वांछनीय है। 2) व्ययवसायिक योग्यताएं जैसे सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार/आईसीडब्ल्यूए/लागत एवं प्रबंधन लेखाकार/सनदी वित विश्लेषक/वित्त में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर/वाणिज्य/अर्थशास्त्र में स्नानकोत्तर वांछनीय है।	**65 वर्ष**	रु. 65000/– (फिक्स्ड)
परामर्शदाता (जन संपर्क)	1	1. केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त अधिकारी के पास वित्त/अर्थशास्त्र/बजट/लेखा में काम करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी या इससे ऊपर के पद (अर्थात् सातवें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स में पे लेवल 11 या अधिक या समतुल्य वेतनमान में केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय में अवर सचिव/एजीएम/एडीजी या इससे ऊपर का पद) पर काम कर चुके हों। 2. अधिमानतः सरकारी क्षेत्र की प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने एवं प्रचार सामग्री तैयार करने का संबंधित अनुभव। वांछनीयः 1) विनियामक निकाय में काम करने का अनुभव वांछनीय है।	**65 वर्ष**	रु. 65000/– (फिक्स्ड)

3. भादूविप्रा में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के इच्छुक और उपर्युक्त पात्रता की शर्तों के अनुसार कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा इसमें संलग्न फॉर्मेट (अनुलग्नक–1) में अपने आवेदन को लिफाफे, जिस पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा हों, में **वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्र. एवं का.), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (पुराना मिंटो रोड़), जाकिर हुसैन कॉलेज के पास, नई दिल्ली – 110002 को 31 दिसंबर, 2020** तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. यदि, इस हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो इस मामले में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

भवदीय,

ह./–

(एस. के. दत्ता)

संयुक्त सलाहकार (समन्वय एवं मा.सं.)

दूरभाष.: 011–23664–503

सूचनार्थ आंतरिक परिपत्रणः–

1. विकाधि, अध्यक्ष, भादूविप्रा का कार्यालय
2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव, भादूविप्रा
3. सभी प्रधान सलाहकार/सलाहकार (मुख्यालय) एवं (क्षेत्रीय कार्यालय), भादूविप्रा
4. जेए (आईटी) – ***इसे भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ***
5. नोटिस बोर्ड

अनुलग्नक–1

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय, नई दिल्ली में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन पत्र

आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम :

2. जन्म तिथि :
3. आवासीय पता **(पत्राचार के लिए)** :

4. फोन नंबर व ईमेल आईडी :

5. सेवानिवृत्ति की तिथि :
6. संगठन का नाम, जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं *(पीपीओ की प्रति संलग्न करें)* :
7. केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/विनियामक निकाय/स्वायत्त निकाय में काम करने के अनुभव के वर्षों की कुल संख्या *(प्रमाण संलग्न करें)* :
8. **विनियामक निकाय** में काम करने के अनुभव के वर्षों की संख्या, यदि कोई हों *(प्रमाण संलग्न करें)* :
9. स्नातक से आगे की शैक्षणिक योग्यता का विवररण *(डिग्री/उत्तीर्ण करने का वर्ष/डिवीजन/अंक)* :

10. तैनाती का विवरण :

अगर स्थान अपर्याप्त है, तो अलग शीट संलग्न करें

धारित पद	**से**	**तक**	**वेतनमान/वर्तमान वेतन**	**कार्य का विवरण *(संक्षेप में)***

11. वेतनमान/अंतिम वेतन :

12. कोई अन्य सूचना :

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही और उचित है।

स्थानः

तारीखः

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मोबाइल नं.

<u>अनुलग्नक–2</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय, नई दिल्ली में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए नियम एवं शर्तें।</u>

क) **कार्य का स्कोप/जॉब जिम्मेदारीः** कार्य/जॉब की जिम्मेदारी भादूविप्रा में तैनाती के अनुसार संबंधित प्रभाग के प्रमुख द्वारा सौंपी जाएगी।

ख) **सामान्य नियम एवं शर्तें :–**

1. **<u>संविदा अवधिः</u>** प्रारंभ में संविदा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन एवं भादूविप्रा की भावी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

2. **<u>पारिश्रमिकः</u>** परामर्शदाता के रूप में लगाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को एकमुश्त आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जो वर्तमान में रु.65000/– प्रतिमाह नियत है। पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक कैलंडर माह के पूरा होने के बाद किया जाता है।

3. **<u>अवकाशः</u>** परामर्शदाता एक कैलंडर वर्ष में यथानुपात (प्रोराटा) आधार पर आकलित 08 दिनों के अवकाश का पात्र होगा। स्वीकार्य अवकाश से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए परामर्शदाता को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर भादूविप्रा द्वारा इंगेजमेंट अवधि को बढ़ाया जाता है तो अवकाश को आगे नहीं ले जाया जाएगा। इसके अलावा, संविदा समाप्ति पर बचे अवकाश के बदले भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. **<u>आयु सीमाः</u>** आवेदन की अंतिम तिथि पर परामर्शदाता की अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग) **<u>अन्य नियम एवं शर्तें:</u>**

1) परामर्शदाता को पूर्णकालिक आधार पर इंगेज किया जाएगा और उक्त अवधि के दौरान उन्हें कोई और कार्यभार स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।

2) परामर्शदाता को संविदा अवधि के दौरान और सविंदा समाप्ति के बाद भी उनके द्वारा संभाली गई सूचना की पूर्ण गोपनीयता और राज को बनाए रखना है, जिसमें विफल रहने पर परामर्शदाता पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

3) परामर्शदाता को उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्यों/सेवाओं को जरूरी दक्षता, कर्मठता, कुशलता एवं किफायत के साथ करना होगा।

4) कोई और सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी, संविदा आधार पर इंगेज व्यक्ति भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी, मेडिकल अटेंडेंस उपचार, वरिष्ठता, प्रोन्नति या किसी ऐसे अन्य लाभ का पात्र नहीं होगा जो भादूविप्रा के नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

5) परामर्शदाता के कार्य के दिन और घंटे वही होंगे जो भादूविप्रा के सेवारत अधिकारियों के हैं। अगर व्यक्ति अवकाश के दिनों या कार्यालय के निर्धारित समय के बाद काम करता है तो भी उसे अनुमेय समेकित पारिश्रमिक के अलावा किसी अन्य क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

6) परामर्शदाता के रूप में नियुक्त होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी को एसएम वर्ड/एक्सल में काम करने में समर्थ होना चाहिए और टिप्पण, प्रारूपण लेखन (नोटिंग, ड्रॉफ्टिं) और मामलों की अच्छी तरह से जांच करने में प्रवीण होना चाहिए।

7) परामर्शदाता की नियुक्ति पूरी तरह से संविदा आधार पर होगी।

8) परामर्शदाता के रूप में लगने वाले सेवानिवृत्त का आचरण सही होना चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति किसी अनुशासनिक कार्यवाही या दंड के परिणामस्वरूप नहीं हुई होनी चाहिए।

9) अगर परामर्शदाता तय समय में सौंपे गए कार्य को करने में विफल रहता है या उसे सौंपे गए कार्य से भादूविप्रा संतुष्ट नहीं है या उसमें ईमानदारी या सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाता है तो भादूविप्रा तत्काल प्रभाव से उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

10) परामर्शदाता की नियुक्ति (इंगेजमेंट) उसे अपने कार्यभार को जारी रखने, उस पद पर या भादूविप्रा में किसी अन्य पद पर स्थायी नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

11) कार्यभार ग्रहण करने के लिए परामर्शदाता को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा। परामर्शदाता किसी भी प्रकार के भत्ते जैसे एचआरए, चिकित्सा एवं परिवहन का पात्र नहीं होगा। हालांकि परामर्शदाता को सरकारी दौरों के संबंध में देश में यात्रा करने के लिए टीए/डीए का भुगतान उस दर से किया जाएगा, जो भादूविप्रा में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड के लिए स्वीकार्य हैं।

12) इस नियुक्ति (इंगेजमेंट) को किसी भी पक्ष के एक माह के नोटिस पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

13) चयन समिति का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।

14) नियम एवं शर्तों और कोई ऐसी मद जो उपर्युक्त नियम एवं शर्तों में शामिल नहीं है, के संबंध में किसी विवाद के मामले में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

*****